भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2559

सोमवार, 17 मार्च, 2025/ 26 फाल्गुन, 1946, (शक)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना

2559. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री संजय दिना पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री अमर शरदराव काले:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए कौन-कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं;

(ख) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और विशेषकर डिजिटल अवसंरचना तक सीमित पहुंच वाले सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों के लिए नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पीएम-एसवाईएम के बारे में शिक्षित करने के लिए कोई जागरुकता अभियान चलाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में योजना से संबंधित प्रचार गतिविधियों के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है तथा उसका उपयोग किया गया है;

(ड.) योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा शिकायतों का कुशलतापूर्वक समाधान करने के लिए विद्यमान तंत्रो का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त योजना नामांकन तथा प्रबंधन में सुगमता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या पेंशन के संवितरण अथवा लाभार्थियों द्वारा की गई शिकायतों के निस्तारण में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा लाभार्थियों को आयु पात्रता प्राप्त करने के पश्चात पेंशन का निर्बाध रूप से मिलना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ज): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की

जारी..2/-

मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18-40 वर्ष की आयु के वे कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ ईएसआईसी/ एनपीएस (सरकारी वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं या आयकर दाता नहीं हैं, वे इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है, जो लाभार्थी की प्रवेश आयु पर निर्भर करता है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस योजना में नामांकन सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है, जिनका देश भर में लगभग 4 लाख केन्द्रों का नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त, पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर भी स्वयं नामांकन करा सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना के अंतर्गत निधि प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है तथा पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है।

चूंकि लाभार्थियों को पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मिलनी शुरू होगी, इसलिए पेंशन का वितरण मार्च, 2039 से शुरू होगा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (esharam.gov.in) आरंभ किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है। पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन की सुविधा के लिए ई-श्रम को पीएम-एसवाईएम के साथ एकीकृत किया गया है और लाभार्थी को ई-श्रम के अंतर्गत नामांकित होना चाहिए तथा उसके पास यूएएन होना चाहिए।

सरकार ने पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के नामांकन को बढ़ाने/ सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठक आयोजित करना।
(ii) राज्य सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) प्रमुखों के साथ नियमित बैठक करना।
(iii) स्वैच्छिक निकास, पुनरुद्धार मॉड्यूल, दावा स्थिति और खाता विवरण जैसी नई सुविधाओं का शुभारंभ।
(iv) निष्क्रिय खातों को पुन: शुरू करने की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करना।
(v) जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।
(vi) पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकन के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र।
(vii) पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा नामांकन बढ़ाने के लिए डोनेट-ए-पेंशन मॉड्यूल का शुभारंभ।
(viii) पेंशन योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के साथ वार्ता।

मंत्रालय ने कल्याण आयुक्त और दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के माध्यम से देश भर में जागरूकता सह पंजीकरण शिविर आयोजित किए।

*****